International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 6, September-October 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सहभागिता

Dr. Anchal Meena

Assistant Professor, PG College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan, India

सार

पंचायती राज अधिनियम-1992 लागू होने से गांव की महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान समय में महिला आरक्षण को कई राज्यों ने 33% से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक दिया है। जिससे पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। आपको बता दें, संविधान के 73वें संशोधन-1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33%) आरक्षण दिया गया है। वर्तमान समय में इस आरक्षण को कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़कार 50 प्रतिशत तक दिया है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। पहली बार 1959 में जब पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने महिलाओं के लिए भी भागीदारी की बात की। समय-समय पर महिलाओं की शक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन पंचायती राज अधिनियम-1992 ग्रामीण भारत की महिलाओं की सशक्तिकरण में मील की पत्थर साबित हुई है।

How to cite this paper: Dr. Anchal Meena "Panchayati Raj and Women's Participation in Rajasthan" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-6, October 2022, pp.993-997, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52004.pdf

IJTSRD52004

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

हमारे देश की आधी आबादी का गठन करने वाली महिलाएँ सामाजिक - जीवन के सामाजिक क्षेत्रों में अपने योगदान के कारण मुख्यतः हमारी सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग रही हैं। इस तथ्य के साथ नहीं कि भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मूल्यों के लिंग पूर्वाग्रह के कारण भारत में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। प्रमुख पितृसत्ता ने सामाजिक - आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और अवसरों की समानता से इनकार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान एक सामाजिक क्रांति पर विचार करता है, कानून के उपयोग के माध्यम से निर्देशित सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। महिलाओं के लिए स्थिति समानता के लिए प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित विशिष्ट उद्देश्यों में से एक थी।[1]

आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के साथ भारतीय समाज की विषम प्रकृति महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। कई उपायों के बावजूद भारत में महिलाओं की स्थिति वंचित स्थिति में है। 1974 में, महिलाओं की स्थिति पर समिति ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, जिसमें महिलाओं की घटती स्थिति, भूमिका और भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट 2 ने खुलासा किया कि भारत में बहुसंख्यक महिलाओं को संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों और अवसरों का आनंद नहीं मिला।

सामाजिक सांस्कृतिक सेटिंग ने परिवार और समाज में उनकी भूमिका को सीमित कर दिया और उन्हें राजनीति के पिछवाड़े में रखा। भारत गाँवों का देश है जहाँ गरीबी दर बहुत अधिक है। ग्रामीण महिलाएं सबसे ज्यादा वंचित स्थिति में हैं। देश की कुल महिला आबादी का लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मानव विकास संकेतक के किसी भी माध्यम से, ग्रामीण महिलाओं को उसके शहरी समकक्ष की तुलना में नुकसान होता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सूचना, संपत्ति और जीवन के अवसर कम हैं। उनकी उत्पादक और प्रजनन भूमिकाएँ काफी हद तक अदृश्य रहती हैं। भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन के हर पहलू में सशक्तिकरण ही एकमात्र उत्तर है। रणनीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी जैसे सभी मोर्चों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना है।

शोधकर्ता का मुख्य ध्यान कई क्षेत्रों में से एक का अध्ययन करना है जहां पंचायत राज संस्थानों में भागीदारी के संदर्भ में राजनीतिक दुनिया में निर्णय लेने के क्षेत्र (यानी) महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। इस अध्ययन ने राजस्थान चित्रण के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया की जांच करने की मांग की है।[2]

भारत में महिलाएं अभी भी पुरुष वर्चस्व के तनाव के दौर से गुजर रही हैं। इसलिए, भारत के विकास के लिए महिलाओं का

सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी न केवल सरल न्याय या लोकतंत्र की मांग है, बल्कि महिलाओं के हित के लिए आवश्यक शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और निर्णय के सभी स्तरों पर महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करे बिना समान विकास और शांति के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को हमेशा संपूर्ण विकास का एक अभिन्न अंग माना गया है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे को ही महत्व दिया गया, यह अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में है और कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को अनुमति दे रहा है। 1995 में बीजिंग में आयोजित चैथे विश्व सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक बहस में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के मुद्दे ने गति पकड़ी थी। यह मुद्दा लैंगिक न्याय और समानता पर सभी चर्चाओं का केंद्र - मंच बना रहा। चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में कार्य मंच में महिलाओं की समान पहुंच, और निर्णय लेने में पूर्ण भागीदारी पर जोर दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है, " महिलाओं की उन्नति की सामान्य प्रक्रिया में राजनीतिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी न केवल सरल न्याय या लोकतंत्र की मांग है, बल्कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। इसने यह भी पुष्टि की कि महिलाओं को निर्णय लेने की स्थिति में कम से कम तीस प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए। एक बढ़ती जागरूकता थी कि सरकारी मामलों में, महिलाओं को इसका एक हिस्सा होना चाहिए।[3]

अधिकांश महिलाओं को शक्ति और निर्णय लेने की स्थिति से बाहर रखा गया है। अधिकांश देश अपने राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को उचित स्थान देने में असफल रहे हैं। औपचारिक निर्णय लेने वाली संरचनाओं और शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जारी है। भारत में भी औपचारिक राजनीतिक ढांचे में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मामूली रहा। भारतीय महिलाएं राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हैं, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। औपचारिक निर्णय लेने वाले निकायों में उनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में नहीं बढ़ी है। सांख्यिकीय रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में चुनावों के दौरान महिला उम्मीदवारों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। सभी सीटों पर महिला सांसदों की संख्या कभी भी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रही।

राज्य स्तर पर विधानसभाओं में उनकी सदस्यता कम है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक 14% है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 सभी को राजनीतिक समानता की गारंटी देता है, फिर भी महिलाओं को इस अधिकार से कोई लाभ नहीं हुआ है। महिलाओं की स्थिति पर समिति (1974) ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि पहले का ध्यान जमीनी स्तर पर भागीदारी पर था, जिसके परिणामस्वरूप 73 वां और 74 वां संशोधन अपनाया गया था। भारतीय संविधान, 1993, जिसने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 33% का कोटा हासिल किया।[4]

विचार-विमर्श

सशक्तिकरण शब्द का अर्थ लोगों और समुदाय में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की डिग्री को दर्शाता है ताकि उनकी रुचि का प्रतिनिधित्व किया जा सके। एक कार्रवाई के रूप में सशक्तीकरण से तात्पर्य स्व - रोजगार की प्रक्रिया से है, जो अपने संसाधनों को दूर करने और पहचानने और उपयोग करने के लिए लोगों के पेशेवर समर्थन को दर्शाता है। सशक्तिकरण, एक शब्द के रूप में विभिन्न सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सेटिंग्स में विभिन्न अर्थ हैं। सशक्तीकरण की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पावर शब्द शामिल है। इसलिए सशक्तिकरण का संबंध सत्ता से है और विशेष रूप से, समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच शक्ति संबंधों को बदलने के साथ। जाहिर है, सशक्तिकरण का परिणाम व्यक्तियों, लिंग, समूहों, वर्गों, जातियों, नस्लों, जातीय समूहों या राष्ट्रों के बीच शक्ति के पुनर्वितरण के रूप में प्रकट होता है।

एक अन्य धारणा के अनुसार, सशक्तीकरण का अर्थ है, कानून, संपत्ति के अधिकारों, महिलाओं के श्रम और निकायों पर नियंत्रण, और वास्तव में पुरुष वर्चस्व को सुदृढ़ और स्थायी बनाना, अधीनता में परिवर्तन के माध्यम से अधीनता की संरचनाओं का परिवर्तन। इस अर्थ में, सशक्तिकरण सूचना, ज्ञान और उपलब्ध विकल्पों के विश्लेषण के एक विस्तृत ढांचे के भीतर सूचित विकल्प बनाने को दर्शाता है। वास्तव में, सशक्तीकरण से जुड़े कई शब्द हैं, जिनमें शामिल हैं आत्म - शक्ति, आत्म - नियंत्रण ,, आत्म - निर्भरता, अपनी पसंद, गरिमा का जीवन, हर एक का अपना अधिकार, स्वतंत्रता, और इसी तरह स्वयं निर्णय लेना ।[5]

सशक्तिकरण का लोकप्रिय दृष्टिकोण जो शब्द के शब्दकोश अर्थ के साथ बहुत अधिक संगत है, किसी को आधिकारिक या कानूनी अधिकार या कुछ करने की स्वतंत्रता देना है। शक्ति शब्द सशक्तिकरण की समझ का केंद्र है। अर्थात शक्ति के विचार से सशक्तिकरण की कोई भी धारणा को अलग नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि बेतेइल ने देखा है, हालांकि सशक्तिकरण की अवधारणा आम तौर पर अनिर्दिष्ट है, अंततः यह शक्ति के बारे में है। सशक्तिकरण शब्द का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में एक दशक से अधिक समय से किया जा रहा है। शब्द की कोई निश्चित या आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें समाज के कुछ विशेष विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को शक्ति दी जाती है। इस शब्द शक्ति को समझे बिना नहीं समझा जा सकता है। सशक्तिकरण का संबंध स्पष्ट रूप से सत्ता से है और विशेष रूप से बदलते सत्ता संबंधों और व्यक्ति और समूहों के बीच शक्ति के पुनर्वितरण से है।

संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने महिलाओं के समग्र विकास और उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के बाद से सभी योजना दस्तावेजों में महिलाओं के विशिष्ट कार्यक्रमों

को शामिल किया गया। कल्याण से विकास तक महिलाओं के मुद्दों के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। 1976 में अपनाई गई महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना महिलाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज बन गई है। महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1998-2000) को अपनाया गया, जिसने महिलाओं के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत की। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति उसी वर्ष भारत में केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई थी। यह नीति लैंगिक असमानता के कारणों को पहचानती है जो सामाजिक आर्थिक संरचनाओं से संबंधित हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में निर्णय लेने के लिए समान पहुंच में मुख्य प्रावधान शामिल थे।[6]

मानव समाज पुरुष और महिला से बना है और यह लिंग के आधार पर वर्गीकृत है। हर समाज में महिलाओं की आधी आबादी है। इसलिए महिलाओं का राजनीतिक संस्थानों में प्रवेश समानता का मुद्दा है। एक मजबूत और स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली और लोगों के कल्याण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी के अधिक अवसर उनकी आर्थिक और संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाएंगे ताकि वे अधिक हासिल कर सकें आत्म विश्वास और राजनीतिक व्यवस्था में बेहतर हिस्सेदारी के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। 1959 के बाद, जब एक ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो बहुत कम महिलाओं ने चुनाव लड़ा ए तीन स्तरीय प्रणाली में विभिन्न सीटों के लिए निर्वाचित हुईं।

1957 में, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए की गई थी, इस समिति ने ग्रामीण महिलाओं की शर्तों पर विचार किया, और तर्क दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति और उनके बच्चों की स्थितियों में सुधार के लिए उनकी सहायता की जानी चाहिए। यह सिफारिश की गई कि कम से कम पंचायती समितियों और जिला परिषदों में सह - चयनित सदस्य के रूप में कुछ महिलाएं होनी चाहिए, अगर वे निर्वाचित नहीं हुई हैं। 1978 में पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

1988 में, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना शुरू की गई थी और योजना की सिफारिश की गई थी कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक सभी स्थानीय निकायों में 30% सीटों का आरक्षण होना चाहिए और 30% का आरक्षण होना चाहिए ग्राम पंचायतों से जिला परिषदों तक की महिलाओं के लिए राजनीतिक कार्यकारी पद होना चाहिए । 67 वें संवैधानिक संशोधन में यह प्रावधान था कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और एससी ध् एसटी महिलाओं की भागीदारी का बीमा करने के लिए 16 प्रावधान थे कि दो सीटें आरक्षित थीं। एससी ध् एसटी और उनमें से एक को इन वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन विधेयक अधिनियमित नहीं किया जा सका।[7]

64 वें संविधान संशोधन विधेयक का संशोधित संस्करण जिसे 73 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में अंतिम रूप दिया गया था, 1992 में संसद में पेश किया गया था और संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से एक अधिनियम बन गया। 1992. आरक्षण के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी के सिद्धांत को इस अधिनियम में स्वीकार किया गया और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ प्रावधान हैं, जैसे

अनुच्छेद 243 डी: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों की एक तिहाई से कम नहीं, इन दो वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

अनुच्छेद 243 डी (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) से कम नहीं (महिलाओं के लिए आरक्षित होगी) पंचायत राज में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा।

अनुच्छेद 243 डी (4) अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या के एक तिहाई के आरक्षण का भी प्रावधान है।

अनुच्छेद 243 डी (4) अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं सहित महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं में अध्यक्षों की कुल संख्या के एक तिहाई के आरक्षण का भी प्रावधान है।

महिलाओं के सशक्तीकरण को कई परस्पर और पारस्परिक रूप से मजबूत घटकों के सापेक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है

- लैंगिक समानता की दिशा में महिलाओं की स्थिति, भेदभाव और अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूकता निर्माण। सामूहिक जागरूकता निर्माण समूह की पहचान और समूह के रूप में काम करने की शक्ति प्रदान करता है।
- क्षमता निर्माण और कौशल विकास, विशेष रूप से योजना बनाने, निर्णय लेने, व्यवस्थित करने, प्रबंधन करने और अपने आसपास के लोगों और संस्थानों से निपटने के लिए गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता।
- भागीदारी और अधिक नियंत्रण और निर्णय - घर, समुदाय और समाज में शक्ति बनाना।
- पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक समानता लाने के लिए कार्रवाई।[8]

परिणाम

महिला सशक्तीकरण आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल और चर्चित शब्द है। महिलाओं का सशक्तीकरण मानव अधिकारों और विकासात्मक प्रवचनों में तेजी से लोकप्रिय शब्द बनता जा रहा है। महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती

हैं। समाज के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण एक आवश्यक बुनियादी शर्त है। यद्यपि महिलाओं की आबादी का आधा हिस्सा है, वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में अधीनता में असमान हैं। महिलाएं स्वाभिमान और स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रही हैं। 1980 के मध्य से महिलाओं द्वारा अपनी उत्पीड़ित स्थिति और विभिन्न महिलाओं के आंदोलनों के माध्यम से दुर्दशा पर सवाल उठाने के कारण, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा ध्यान में आया। महिला को पुरुषों के साथ समानता प्राप्त करने में मदद करने के लिए या लिंग आधारित भेदभाव को कम करने में सहायता के रूप में सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है।

सशक्तिकरण ' शब्द की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें ' शक्ति ' शब्द शामिल है, जहाँ महिलाएँ भौतिक और बौद्धिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करती हैं और पितृसत्ता और लिंग आधारित भेदभाव की विचारधारा को चुनौती देती हैं।

सशक्तिकरण एक जटिल अवधारणा है जिसकी व्याख्या कई तरीकों से की जाती है। सुषमा सहाय (1998) के अनुसार, अपने सरलतम रूप में सशक्तिकरण का मतलब सत्ता के पुनर्वितरण की अभिव्यक्ति है जो पितृसत्तात्मक विचारधारा और पुरुष प्रभुत्व को चुनौती देता है। यह एक प्रक्रिया और प्रक्रिया का परिणाम दोनों है। यह संरचनाओं और संस्थानों का परिवर्तन है जो लैंगिक भेदभाव को मजबूत करता है और नष्ट करता है। विजयंती (2000) के अनुसार, सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत महिलाएं अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए खुद को संगठित करने में सक्षम हो जाती हैं, ताकि वे अपने विकल्पों को बनाने और अपने संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वतंत्र अधिकार का दावा कर सकें, जो कि अपने स्वयं के अधीनता को चुनौती देने और खत्म करने में सहायता करेगा। सशक्तिकरण जागरूकता और क्षमता निर्माण की एक प्रक्रिया है, जो अधिक से अधिक भागीदारी, अधिक निर्णय लेने की शक्ति और नियंत्रण का निर्माण करती है।[9]

सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तीकरण उनकी उन्नति और लिंग समान समाज की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। यह समानता, विकास और शांति के लक्ष्यों के लिए केंद्रीय है। भारतीय लोकतंत्र जो आधी शताब्दी से अधिक पुराना है, अगली सदी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन महिलाओं के एक बड़े पैमाने को अभी भी राजनीतिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी के बिना कोई सच्चा लोकतंत्र, या शासन और विकास में किसी की भी भागीदारी नहीं हो सकती है। राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की उन्नति का अभिन्न अंग है। राजनीतिक सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी की मान्यता प्राप्त करती हैं, राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मानव गरिमा के साथ एक भागीदार के रूप में राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए नीतियों के निर्माण और उन्हें राजनीतिक प्रणाली में एकीकृत करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक अलग भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान व्यापक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक राज्य है। इसकी ग्रामीण आबादी 5.15 करोड़ है। 9891 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है। यह विभिन्न परंपराओं और रीति - रिवाजों के साथ सांस्कृतिक रूप से बाध्य राज्य है। ऐसी अवस्था में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। समाज के सामाजिक - सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में उनका कोई सानी नहीं है। यह 73 वें संशोधन के कार्यान्वयन के बाद थाय महिलाओं ने निर्णय लेने वाली संस्था में अपनी आवाज दी और स्वतंत्रता के वातावरण के लिए एक व्यापक प्रदर्शन किया। राजस्थान पहला राज्य है जहां 27 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चुनाव उसी महीने (चैधरी, 1964) में आयोजित किया गया था। हालांकि, इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया।

राज्य सरकार के पास चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी थी, और नियमित अंतराल पर चुनाव कराने के लिए कोई संवैधानिक आग्रह नहीं था। उन दिनों के दौरान, चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी या नहीं हुआ करती थी। उन्हें समाज के ताने - बाने से धकेल दिया गया और पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व शायद ही देखा गया। वर्तमान संदर्भ में, संविधान में 73 वें संशोधन के बाद, जिसने स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरों प्रणाली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया, देश के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 73 वें संशोधन ने महिलाओं को एक प्रशासक, अच्छे नेता और निर्णय - निर्माता (अग्निहोत्री और सिंह, 2014) के रूप में अपनी क्षमता और क्षमता साबित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।[10] महिलाओं को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के रूप में चुना गया है। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले राज्यों में से एक है। राजस्थान में पीआरआई में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) का प्रतिशत 58.29% है। यह दर्शाता है कि राजस्थान जैसे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए गर्व की बात है, जहां राज्य को अक्सर कम मानव विकास सूचकांक और लिंग - संबंधी मुद्दों के लिए आलोचना की जाती है, यानी तिरछा लिंगानुपात, निम्न साक्षरता, बाल विवाह और गरीब बालिका शिक्षा। अंतिम पंचायत चुनाव जो 2010 में हुआ था, यह दर्शाता है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWR) लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर है, अर्थात 57.57%, 54.03% और 52.56 जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में क्रमशः (राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान सरकार 2010)[11]

निष्कर्ष

जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थान महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अग्रणी हैं। इन संस्थानों को ग्रामीण भारत में सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन के वाहनों के रूप में घोषित किया गया है। सामाजिक मुद्दे के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता, प्रत्येक पंचायती राज संस्थान के प्रभावी और सार्थक कामकाज के लिए नागरिकों और प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी, और योगदान आवश्यक शर्तें हैं। 73 वें संविधान

संशोधन अधिनियम, 1992 में सम्मिलित पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में किए गए प्रयास के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए ताकि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करके सशक्त बनाया जा सके। महिलाओं। विभिन्न उपायों में, यह प्रयास विशेष रूप से महिलाओं को घर से बाहर निकलने और सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए जीवन की चुनौतियों का सामना कर हल निकालना सशक्तिकरण है। महिलाओं के विशेष संदर्भ में सशक्तिकरण शब्द शक्ति के बारे में और इसे महिलाओं के जीवन के कुल परिवर्तन के रूप में समझा जा सकता है। सशक्तीकरण के निर्धारण के लिए कई क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। राजनीतिक सशक्तिकरण ए सशक्तिकरण का एक प्रमुख पहलू है। महिलाओं के संदर्भ में, राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व को प्रभावी कारक के रूप में पहचाना जाता है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम ने महिलाओं के जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। पंचायती राज संस्थाओं में अधिनियम के कारण महिलाओं की भागीदारी 4 से 5 प्रतिशत से बढ़कर 33 से 50 प्रतिशत हो गई है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने संसाधनों, अधिकारियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए जागरूकता और विश्वास को बढ़ावा देकर महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना पैदा की।[12]

संदर्भ

[1] उपाध्याय, मनोरमा और उपाध्याय, जागृति (2010). प्राचीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: कल्हण राजतरंगिणी के विशेष संदर्भ में, डेल्ही, लेखक प्रेस करते हैं। pp. 59.

[2] दास, अमृता (1988), भारत में महिलाओं का इतिहास, उनके द्वारा वर्ष 1988 में आई. टी. कॉलेज लखनऊ में आयोजित एक संगोष्ठी में पेपर पढ़ा गया, pp. 1

[3] आइबिड, भारत में महिलाओं का इतिहास, pp. 2 ।

[4] थापर, रोमिला (1991). अशोका और मौर्यों का पतन, व्च् इंडिया, pp. 86

[5] थापर, रोमिला (1990). अशोका और मौर्य की गिरावट, भारत, pp. 87

[6] मुकर्जी, राधाकुमल (1940). चंद्रगुप्त मौर्य और उनका समय, मदरसा विश्वविद्यालय pp. 41

[7] के. एम., अशरफ (2000). हिंदुस्तान के लोगों की जीवन स्थितियाँ, नई दिल्ली, ज्ञान प्रकाशन हाउस, pp. 192

[8] उपाध्याय, नीलम और पांडे, रेखा, (1990), भारत में महिलाएं: अतीत और वर्तमान। नई दिल्ली, चुग पब्लिकेशन, pp. 17-18 ।

[9] महाराज, हुजूर (1930) – Prem Patra A वॉल्यूम, वी. आगरा, pp. 58

[10] नटसन, जी. ए. (1907). गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण।

[11] गांधी, एम. के. (1925). यंग इंडिया, (9 फरवरी, 1925) ।

[12] बेटिल, आंद्रे (1999). अधिकारिता, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। 6-13 (मार्च, 1999), pp. 589-597 ।